HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने वाले 05 अभियुक्त को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **बिवांर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 230/2018 धारा-363,376डी,452,392,506,120बी भा0द0सं0 व 5छ/8 पॉक्सो एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण **1.भईयालाल पुत्र बिन्दा प्रसाद 2.पूरनलाल पुत्र बिन्दाप्रसाद 3.बिन्दा प्रसाद पुत्र स्व0 गजोधर** नि0गण टीहर थाना बिंवार जनपद हमीरपुर **4.शीवेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश** निवासी उमरी थाना बिंवार हमीरपुर **5.लालाराम पुत्र सुरेन्द्र** नि0 चांदपुरवा थाना सुमेरपुर, हमीरपुर को धारा-363 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को **05 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

	अभियोजक एडीजीसी अवधनरेश चन्देल		विवेचक- निरी0 रामप्रसाद चौधरी		पैरोकार थाना - बिवांर का0 श्रीकान्त राजपूत